दलपत सिंह नारुका और ए. एन. आर. बनाम

करुणा बंसल और ओआरएस।

(सिविल अपील संख्या 2022 की 3651-3653) 21 अप्रैल, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।9 और 37-अपील का दायरा-यू/एस में निहित सीमित अधिकार क्षेत्र।37 – प्रत्यर्थीगण यू/एस द्वारा पसंद की गई अपीलों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश।37, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होना, प्रत्यर्थीगण द्वारा यू/एस द्वारा दायर अंतरिम राहत के लिए आवेदन को खारिज करना।9 – आयोजित किया गया:विवादित आदेश पारित करके, उच्च न्यायालय ने अपने अधीन निहित सीमित अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया।37 – प्रत्यर्थीगण यू/एस द्वारा पसंद की गई अपील का दायरा।37 वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश के गुणागुण की जांच करने तक सीमित होना चाहिए, जिसने उनके द्वारा दायर आवेदन पर प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में कोई भी अंतरिम उपाय करने से इनकार कर दिया था।9 – हालाँकि, प्रत्यर्थीगण ने एक पूरी तरह से अलग प्रक्षेपवक्र पर अपील की कार्यवाही करने में कामयाबी हासिल की है-इसके परिणामस्वरूप, अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के कहने पर दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में जिस तरह से अनुसंधान की जा रही थी, उससे संबंधित एक घुमावदार और संदिग्ध अनुसंधान की, इस हद तक कि न केवल एक स्थिति रिपोर्ट थी और मामले की डायरी मांगी गई थी, अनुसंधान अधिकारी को भी तलब किया गया था और बाद में, अनुसंधान को विशेष संचालन समूह को स्थानांतरित कर दिया गया था-तीन विवादित आदेशों में से कोई भी अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न कार्यवाही में पारित नहीं किया जा सकता था।9 – यदि प्रत्यर्थीगण को अपनी शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई अनुसंधान के अनुचित या आंशिक तरीके के बारे में कोई शिकायत है, तो यह उनके लिए है कि वे आपराधिक पक्ष पर सक्षम अदालत के समक्ष उचित कानूनी सहारा लें-हालाँकि, प्रत्यर्थीगण द्वारा शुरू की गई कार्यवाही यू/एस।37 निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय के विवादित आदेशों को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है-उच्च न्यायालय प्रत्यर्थीगण द्वारा पसंद की गई अपील पर कानून के अनुसार और विचाराधीन मानदंडों के भीतर सख्ती से निर्णय लेगा।37.

जी.

एच.

139

140

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

ए.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील संख्या 3651-3653।

2021 के सी. एम. ए. No.431 में जयपुर पीठ में राजस्थान में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 24.02.2022,11.03.2022 और 29.03.2022 से।

डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक गुप्ता, सुश्री मेघा कर्णवाल, अजातशत्रु, निधि राम शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री वन्या गुप्ता, आदित्य बोहरा, कौस्तुभ सेठ, आयुष कौशिक, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1.अनुमति प्रदान की गई।

1.1 विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील 24 फरवरी, 2022,11 मार्च, 2022 और 29 मार्च, 2022 के तीन अंतरिम आदेशों के खिलाफ निर्देशित हैं, जो राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर अपीलों में पारित किए गए थे, जो वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर-II द्वारा 1996 अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन को खारिज करते हुए 11 फरवरी 2021 के आदेश से व्यथित हैं।

2. 26 फरवरी, 2021 को, प्रत्यर्थीगण द्वारा पसंद की गई अपील में नोटिस जारी करते हुए और वाणिज्यिक न्यायालय के रिकॉर्ड को समन करते हुए, इसमें अपीलार्थीगण को उच्च न्यायालय द्वारा "होटल ग्रैंड उनियारा" के रूप में वर्णित संपत्ति को अलग करने से रोक दिया गया था, जो पक्षों के बीच विवाद का विषय है।13 अगस्त, 2021 के आदेश के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण को मूल स्टाम्प पेपर पेश करने का निर्देश दिया, जिस पर प्रत्यर्थीगणओं द्वारा की गई याचिका के मद्देनजर उनके द्वारा एक पूरक भागीदारी विलेख को कथित रूप से निष्पादित किया गया था कि उक्त विलेख को विषय संपत्ति पर उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्ववत किया गया था।13 अगस्त, 2021 से एक दिन पहले, उपरोक्त पूरक भागीदारी विलेख से संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 3 की शिकायत पर, अपीलार्थीगण और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ थाना वैशाली नगर, जयपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जी.

1 संक्षेप में '1996 अधिनियम' ए

एच.

141

दलपत सिंह नारुका और ए. एन. आर. बनामकरुणा बंसल और ओआरएस।

3. यह विवाद में नहीं है कि एफ. आई. आर. 293/2021 के संबंध में अनुसंधान को बाद में सी. आई. डी.-सी. बी. को स्थानांतरित कर दिया गया था और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा ने अपीलार्थीगण की शिकायत के साथ-साथ एफ. आई. आर. No.293/2021 पर प्रत्यर्थीगण के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. No.211/2019 की अनुसंधान के लिए एक विशेष अनुसंधान दल (एस. आई. टी.) का गठन किया है।

4. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि जब अपीलार्थी संख्या 1 ने 24 फरवरी, 2022 के पहले विवादित आदेश द्वारा मूल स्टाम्प कागजात को रिकॉर्ड में लाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिस पर एक हलफनामे के साथ पूरक भागीदारी विलेख को निष्पादित किया गया था, तो उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को एफ. आई. आर. No.293/2021 से संबंधित स्थिति रिपोर्ट दायर करने और उसके अवलोकन के लिए उक्त एफ. आई. आर. की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।11 मार्च, 2022 के दूसरे विवादित आदेश द्वारा, स्थिति रिपोर्ट और उसके समक्ष प्रस्तुत केस डायरी को देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख पर जांच अधिकारी को तलब किया।29 मार्च, 2022 को पारित तीसरे विवादित आदेश में कहा गया

कि एफ. आई. आर. No.293/2021 में अनुसंधान निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही थी, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उक्त एफ. आई. आर. को विशेष अभियान समूह (एस. ओ. जी.), जयपुर को स्थानांतरित कर दिया जाए, जिसमें आगे निर्देश दिया गया है कि उक्त अनुसंधान की निगरानी पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसे तीन सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त विवादित आदेश 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत विचार किए गए हस्तक्षेप के दायरे और मापदंडों से बहुत आगे जाते हैं। उक्त कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय को केवल 11 फरवरी, 2021 को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जांच करने की आवश्यकता थी, जिसमें 1996 के अधिनियम के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा अंतरिम राहत के लिए धारा 9 के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील को प्राथमिकता देने के एक सप्ताह के भीतर, प्रत्यर्थीगण ने अपने द्वारा दायर एक धारा 11 याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विद्वान एकल मध्यस्थ से संपर्क किया था और अंतरिम राहत पाने के लिए धारा 17 के तहत एक आवेदन दायर किया था, इस प्रकार धारा 37 के तहत उनके द्वारा की गई अपील को निष्फल करार दिया।इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करके अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया है और वस्तुतः आपराधिक अनुसंधान के विषय पर दर्ज एफ. आई. आर. No.213/2021 की निगरानी का कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

प्रत्यर्थीगण की शिकायत, जिससे अपीलार्थीगण के अधिकारों पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6. प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने विवादित अंतरिम आदेशों का दृढ़ता से बचाव किया है।वे प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थीगण ने 3 जनवरी,

2008 को गठित साझेदारी विलेख के तहत व्यवसाय से प्रत्यर्थीगण को बाहर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हालांकि होटल व्यवसाय को विकसित करने के लिए उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत और प्रयासों के अलावा उनके द्वारा पर्याप्त मौद्रिक निवेश किया गया है।

7. पक्षकारसभक लेल विद्वान अधिवक्ता द्वारा देल गेल तर्कसभकेँ सुनबा आ अभिलेखसभकेँ ध्यानसँ पढ़बा पर, हमर सभक दृढ़ मत अछि जे विवादित आदेशसभ पारित कऽ उच्च न्यायालय 1996 क अधिनियमक धारा 37 क अन्तर्गत एकरा देल गेल सीमित अधिकार क्षेत्रसँ बेसी काज कयलक अछि। 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा की गई अपील का दायरा वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित 11 फरवरी, 2021 के आदेश के गुणागुण की जांच करने तक सीमित होना चाहिए, जिसने 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत उनके द्वारा दायर आवेदन पर प्रत्यर्थीगण के पक्ष में कोई भी अंतरिम उपाय करने से इनकार कर दिया है। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता पूरी तरह से अलग प्रक्षेपवक्र पर अपील कार्यवाही करने में कामयाब रहे हैं।नतीजतन, अपीलीय न्यायालय प्रत्यर्थीगण के कहने पर दर्ज की गई एफ. आई. आर. No.293/2021 के संबंध में जिस तरह से अनुसंधान की जा रही है, उससे संबंधित इस हद तक कि न केवल एक स्थिति रिपोर्ट है और केस डायरी के लिए बुलाया गया है, अनुसंधान अधिकारी को भी तलब किया गया है और बाद में, अनुसंधान को विशेष संचालन समूह, जयपुर को स्थानांतरित कर दिया गया है।

8. हमें डर है कि 1996 के अधिनियम की धारा 9 के तहत पारित आदेश से उत्पन्न कार्यवाही में अपीलीय न्यायालय द्वारा तीन विवादित आदेशों में से कोई भी पारित नहीं किया जा सकता था। यदि प्रत्यर्थीगण को अपनी शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के संबंध में की गई अनुसंधान के अनुचित या आंशिक तरीके के बारे में कोई शिकायत है, तो यह उनके लिए है कि वे आपराधिक पक्ष में सक्षम अदालत के समक्ष उचित कानूनी सहारा लें।हालाँकि, 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का निश्चित रूप से दुरुपयोग करने और इस उद्देश्य के लिए वस्तुतः दबाव डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जी.

9. ऊपर बताए गए कारणों से, 24 फरवरी, 2022,11 मार्च, 2022 और 29 मार्च, 2022 के विवादित आदेश ए नहीं हैं।

एच.

दलपत सिंह नारुका और ए. एन. आर. बनामकरुणा बंसल और ओआरएस।

टिकाऊ और तदनुसार रद्द कर दिए जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं।उच्च न्यायालय से डी. बी. सिविल विविध पर निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है।प्रत्यर्थीगण द्वारा कानून के अनुसार और 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत विचार किए गए मापदंडों के भीतर सख्ती से अपील की जाती है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने उपरोक्त कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 फरवरी, 2021 के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है या उसे पलट नहीं दिया है, जिसमें अपीलार्थीगण को विषय संपत्ति को अलग करने से रोका गया है।

10. पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ते हुए, उपरोक्त शर्तों में लंबित आवेदनों के साथ अपीलों की अनुमति दी जाती है और उनका निपटारा किया जाता है।

बिभूति भूषण बोस

अपीलों की अनुमति दी गई।

जी.

एच.